न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्याः— 182/2024

प्रार्थीया	अप्रार्थी
1 पुनमकंवर पत्नी जितेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।	1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0—सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।**
2. **तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांक 15/01/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां तहसील सोजत में वर्तमान खसरा संख्या 328/1286 रकबा 1.0000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, उक्त कृषि भूमि को प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान प्रिंसिपल विक्रेता केवलचंद पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी गुड़ाश्यामा से जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थीया उक्त खसरा संख्या 328/1286 की रेकर्डेड़ खातेदार है। प्रार्थीया की उक्त भूमि के खसरा संख्या 328/1286 के आस व पड़ौस में ग्राम गुड़ाकलां के खसरा संख्या 321 रकबा 0.6600 हैक्टर किस्म बा0अ0 की कृषि भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्जसुदा है, ग्राम गुड़ाकलां में स्थित वर्तमान खसरा संख्या 321 व उसके आस—पड़ौस में स्थित खसरा संख्या 322, 323, 324, 325 व 328 की भूमि पुराने खसरा संख्या 195 से मिलकर बना है, जो कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड के खसरा मिलान से बखुबी स्पष्ट है तथा उक्त कृषि भूमि के पुराने खसरा संख्या 195 सिवाय चक दर्ज थी, तत्पश्चात् उक्त सिवाय चक भूमियो में से अलग अलग व्यक्तियो को आवंटन की गई तथा आवंटन के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा ग्राम गुडाकलां के वर्तमान खसरा संख्या 321 व 328 व 328/1286 वगैरा पुराने खसरा संख्या 195 से मिलकर जो बना है, जो पुराना खसरा संख्या सेटलमेन्ट के पूर्व के नक्शे के अवलोकन से सम्पूर्ण भूमि का रकबा एक ही चक में स्थित था तथा उक्त खसरा संख्या 195 का रकबा भी अधिक था तथा उक्त खसरा संख्या 328 व 321 के पुराने खसरा संख्या 195 में से मौके पर समय समय पर उक्त सिवाय चक भूमियों में से आवंटन कर व्यक्तियो को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये, उसी प्रकार प्रार्थीया की उक्त भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 328/1286 के मूल खसरा संख्या 328 में से पूर्व के खातेदारान को आवंटन की गई थी तत्पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में खातेदारी इन्द्राज की गई, लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बंध में खसरा संख्या 321 की भूमि को जो वर्तमान राजस्व ट्रेस नक्शे में त्रुटीवश खसरा संख्या 328/1286 की भूमि में

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

दर्शा दिया गया है, जो गलत है, जबकि प्रार्थीया के पूर्व के प्रिंसिपल विक्रेता व उनसे भी पूर्व के खातेदारान का मौके पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मार्क अ, ब, स, द अनुसार कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग चला आया है तथा आज भी मौके पर जो राजस्व ट्रेस नक्शे में अ, ब, स, द से दर्शाया है, उक्त भू–भाग खसरा संख्या 321 की भूमि न होकर खसरा संख्या 328/1286 की भूमि है, जो राजस्व ट्रेस नक्शे में त्रुटीवश 328/1286 में सम्मिलित कर ट्रेस नक्शे में खसरा संख्या 321 को दर्शा दिया है, जबकि मौके पर प्रार्थीया का खसरा संख्या 321 के राजस्व ट्रेस नक्शो में दर्शित अ, ब, स, द भू–भाग पर ही वक्त खरीद कब्जा प्राप्त किया गया तथा आज भी मौके पर इसी अनुरूप काबिज काश्त है। प्रार्थीया द्वारा उक्त खसरा संख्या 328/1286 की भूमि को वर्तमान में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा माफिक बेचान रजिस्ट्री अनुसार प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार इन्द्राज किया गया, लेकिन सम्बंधित पटवारी हल्का / राजस्व कर्मचारीयो द्वारा मौके पर बिना कब्जे की जाँच किये, प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि को मनमाने तरीके से राजस्व ट्रेस नक्शे में त्रुटीवश तरमीम कर दी गई, जबकि वर्तमान राजस्व ट्रेस नक्शे में 328/1286 की भूमि को दर्शाया है, उस माफिक मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, जबकि राजस्व ट्रेस नक्शे में जो खसरा संख्या 321 की भूमि, जिसे अ, ब, स, द से दर्शाया है, वह भूमि खसरा संख्या 328/1286 है। उक्त राजस्व ट्रेस नक्शे में प्रार्थीया की भूमि को विधि विरूद्ध रूप से तरमीम की प्रार्थीया को जानकारी नहीं थी, न ही उक्त सम्बंध में प्रार्थीया को किसी प्रकार की सूचना इत्यादि प्रेषित की गई, अभी वर्तमान में प्रार्थीया को उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बंध में ऋण की आवश्यकता होने के कारण राजस्व दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20/9/24 को प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि राजस्व कर्मचारीयो द्वारा राजस्व ट्रेस नक्शे में प्रार्थीया की खरीदसुदा कृषि भूमि को खसरा संख्या 321 में सम्मिलित करते हुये भूमि को कब्जे से विपरीत दर्शाते हुये खसरा संख्या 328/1286 की भूमि पर खसरा संख्या 321 को राजस्व ट्रेस नक्शे में दर्शाते हुये तरमीम त्रुटी की है, जो तरमीम त्रुटी दुरूस्त किये जाने योग्य है, इसलिये प्रार्थीया उपरोक्त राजस्व भूमि के ट्रेस नक्शे में खसरा संख्या 328/1286 की भूमि पर खसरा संख्या 321 को दर्शा कर की गई राजस्व रेकर्ड में तरमीम त्रुटी को दुरूस्त करवाने की कानूनन अधिकारीणी है। अतः प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती व तरमीम शुद्धि का विरूद्ध अप्रार्थी पेश है। प्रार्थीया की भूमि के खसरा संख्या 328/1286 को राजस्व ट्रेस नक्शे में गलत दर्शाते हुये 328/1286 की भूमि पर बिना मौके की जाँच किये दर्शा दिया गया है, जिसे पुनः कब्जे की जाँच करवाई जाकर उक्त अनुरूप तरमीम त्रुटी की जानी आवश्यक व न्याय संगत है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में दर्शित अ, ब, स, द की भूमि पर ही प्रार्थीया काबिज काश्त है, जिस अनुरूप दुरूस्ती की जानी आवश्यक है तथा उक्त खसरा संख्या 328/1286 की भूमि पर मौके पर काबिज स्थिति अनुसार ट्रेस नक्शे में तरमीम की जाने से अप्रार्थी राज्य सरकार व अन्य किसी भी खातेदारान को हक हिस्से पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा न ही उक्त तरमीम त्रुटी से राजस्व ट्रेस नक्शे में किसी प्रकार की अशुद्धी रहेंगी तथा खसरा संख्या 328/1286 की भूमि को प्रार्थीया द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार तरमीम त्रुटी से खसरा संख्या 321 के रकबे व आस–पड़ौस के खातेदार की भूमि पर कोई विपरीत प्रभाव व हक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। अप्रार्थी की भूमि के खसरा संख्या 321 को प्रार्थीया की भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

खसरा संख्या 328/1286 की भूमि पर दर्शा कर तरमीम त्रुटी करने से मौके पर प्रार्थीया को काश्त इत्यादि करने में भी असुविधा रहती है तथा उक्त तरमीम दुरूस्ती के अभाव में प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकार प्रभावित हो रहें है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम गुडाकलां में स्थित कृषि भूमि के खसरा संख्या 321 की भूमि को गलत तरीके से राजस्व ट्रेस नक्शे में खसरा संख्या 328/1286 की भूमि के सम्बंध में की गई तरमीम त्रुटी को दुरूस्त कर शुद्धि की जावे तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 328/1286 की भूमि जिसे अ, ब, स, द से दर्शाया है, उस माफिक राजस्व ट्रेस नक्शे में तरमीम की जावे।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी, को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत जबाब प्रा0 पत्र पेश करना नहीं चाहने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0 पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत को विवादग्रस्त भूमि की बरूवे मौका निरीक्षण / जांच करके रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सोजत द्वारा मौका व रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मार्क ABCDEH खसरा नं० 328/1286 के खातेदार पूनमकतर पत्नी जितेन्द्रपाल सिंह के कब्जे काश्त की भूमि हैं, मार्क EFGH सिवायचक खसरा नं0 321 की भूमि जो मौके पर खाली पड़ी है। खसरा नं० 328/1286 मूल खातेदार सोना पुत्र धीरा कौम कलाल को आवंटित हुई थी, जिसे पूनम कंवर द्वारा खरीद किया गया था एवं आवंटी द्वारा बताई गई भूमि पर पूनम कंवर द्वारा काश्त करना बताया है। ख0नं0 328/1286 की ऑनलाईन तरमीम वर्तमान में मार्क ABCDEFH अनुसार की गई है, किन्तु मौके पर ABCDEH पूनम कंवर काबिज है तथा इसी अनुरूप माफिक कब्जा अनुसार तरमीम ख०न० 328/1286 काश्तानुसार नहीं की गई है तथा उक्त भूमि के नक्शे में वर्तमान में तरमीम अशुद्ध है जिसे तरमीम दुरूस्त की जानी न्याय संगत है। नक्शा में ख0न0 328/1286 की तरमीम वर्तमान में सेग्रीगेसन के दौरान वर्तमान तरमीम एवं प्रार्थीया के कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है। सेग्रीगेसन के दौरान ख0न0 321 का कुछ हिस्सा 328/1286 के भीतर तरमीम हो गया है, यह तरमीम में त्रुटी पाई गई है। तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है, की वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश की है।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि ख.नं. 328/1286 मूल सिवायचक खसरा नंबर 328 में से मूल खातेदार सोना पुत्र धीरा कौम कलाल को आंवटित हुई थी, जिसे प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा वर्तमान में प्रार्थीया उक्त ख.नं0 328/1286 की रेकर्डेड खातेदार है तथा उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में ख.नं. 321 की भूमि व वर्तमान राजस्व नक्शे में त्रुटिवश ख.नं. 328/1286 की भूमि में दर्शा दिया जो गलत है, जबकि प्रार्थीया के पूर्व के प्रिसिपल विक्रेता व उनसे पूर्व के खातेदारान का मौके पर प्रा0पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आया है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है तथा उक्त भू–भाग ख.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नं. 321 की भूमि न होकर ख.नं. 328/1286 की भूमि हैं, जो राजस्व ट्रेस नक्शे में त्रुटिवश ख.नं. 328/1286 में सम्मिलित कर ट्रेस नक्शे में ख.नं. 321 का दर्शा दिया, जबकि मौके पर प्रार्थीया का वक्त खरीद से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार कब्जा चला आ रहा है तथा जो न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सोजत द्वारा जो उक्त भूमि के संबंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें भी प्रार्थीया की मौके पर मार्क एबीसीडीईएच कब्जा काश्त की होना बताया है तथा एएफजीएच सिवायचक ख.नं. 321 की भूमि जो मौके पर खाली पड़ी है बताया है तथा संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट व नक्शा प्रस्तुत किया है, उसमें भी प्रार्थीया का एबीसीडीईएच पर काबिज होना बताया है तथा उक्त भूमि के नक्शे में वर्तमान में तरमीम अशुद्ध होना माना हैं, जिससे प्रार्थीया का प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तरमीम व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार सोजत ने जबाब बहस में स्वीकारोक्ति/सहमति तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु व्यक्त कर अभिशंषा व्यक्त की है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र, तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका व रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट तथा जबाब प्रा0 पत्र का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर भी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रकरण में वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ख.नं. 328/1286 रकबा 1.0000 है0 की प्रार्थीया खातेदार है तथा उक्त मूल ख.नं. 328 पुराने ख.नं. 195 मिन से मिलकर बना है, जो खसरा मिलान से स्पष्ट है, जो कि सिवायचक दर्ज थी तथा उक्त पुराने खसरा नंबरान अनुसार ही प्रार्थीया के प्रिसिपल विक्रेता के पूर्व खातेदार सोना वल्द धीरा को आवंटित हुई थी, जिसकी प्रति भी संलग्न प्रस्तुत हैं तथा उक्त भू–भाग पर ही प्रार्थीया का काबिज होना रिपोर्ट में वर्णित हैं। प्रकरण में तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें भी ख.नं. 328/1286 की ऑनलाईन तरमीम वर्तमान में मार्क ABCDEFH अनुसार की गई है, किन्तु मौके पर ABCDEH पूनम कंवर काबिज है तथा इसी अनुरूप माफिक कब्जा अनुसार तरमीम ख०न० 328/1286 काश्तानुसार नहीं की गई है तथा उक्त भूमि के नक्शे में वर्तमान में तरमीम अशुद्ध है तथा सेग्रीगेसन के दौरान ख0न0 321 का कुछ हिस्सा 328/1286 के भीतर तरमीम हो गया है, यह तरमीम में त्रुटी पाई गई है। से भी यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त भूमि के संबंध में ख.नं. 321 का कुछ हिस्सा ख.नं. 328/1286 के भीतर तरमीम हुआ है जिससे रेकर्ड व तरमीम में त्रुटि होना प्रतीत होता हैं। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाकर रेकर्ड व तरमीम दुरूस्ती किये जाने तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां तहसील सोजत में वर्तमान खसरा संख्या 328/1286 रकबा 1.0000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल के राजस्व ट्रेस नक्शे में वर्तमान में की गई तरमीम को संशोधित किया जाकर मौके पर कब्जा अनुसार नजरी नक्शा में लाल रंग की लकीरों में दर्शाये स्थान अनुसार खसरा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नम्बर 328/1286 की तरमीम मार्क एबीसीडीईपीएच तथा खसरा नम्बर 321 की तरमीम मार्क ईएफजीएच के अनुसार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। प्रा0 पत्र मय पटवारी रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय तथा उक्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉं भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत